



क्रमांक. एफ/प्रशा०/स्था०/२०२४/८१९७

दिनांक: २३/०४/२०२४

//अंतिम स्मरण पत्र//
अतिआवश्यक**// कार्यालयीन आदेश //**

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में ऐगिंग रोकने हेतु वर्तमान उपायों के साथ व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्राचार्य/चीफ वार्डन/वार्डन निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे :-

सीनियर एवं जूनियर छात्रों का समिलित ओरियोटेशन प्रोग्राम आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे, जिसे संस्थान प्रमुख/विभागाध्यक्ष एवं एन्टी रैगिंग कमेटी के द्वारा संबोधित किया जावेगा।

1. सीनियर एवं जूनियर छात्रों के बीच समन्वय एवं मित्रता स्थापित करने, शिक्षक की उपस्थिति में समय-समय पर विभागाध्यक्ष द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं छेल गतिविधियां आयोजित किये जाना सुनिश्चित करें एवं उसका पालन प्रतिवेदन विभागाध्यक्ष द्वारा ऐगिंग रोधी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी को प्रेषित किये जावे।
2. छात्रावास वार्डन द्वारा सीनियर एवं जूनियर छात्रों के मित्रवत रहने हेतु समय-समय पर साथ में भोजन करना एवं उन्हे संबोधित करना सुनिश्चित करें, जिससे फेशर एवं अन्य जूनियर छात्र/छात्रा का आत्मविश्वास एवं उनमे मेल-जोल बना रहे।
3. फेशर छात्र/छात्रों की समस्याओं का निदान करनें, उनसे सतत सम्पर्क रखने एवं उन्हे पारिवारिक माहौल देने, विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक फेशर बैच के छोटे-छोटे समूह बना कर प्रत्येक समूह का प्रभारी विभाग के ०१ शिक्षक को बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें प्रत्येक समूह प्रभारी एक डायरी संधारित करेंगे कि, समूह के किस छात्र/छात्रा द्वारा प्रभारी से कब संपर्क किया गया एवं समूह प्रभारी द्वारा समूह से कब संपर्क किया गया एवं किस छात्र/छात्रा द्वारा प्रभारी को किस समस्या से अवगत कराया गया। जिसकी रिपोर्ट समस्त प्रभारी विभागाध्यक्ष के माध्यम से ऐगिंग रोधी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी को प्रेषित किये जावे उक्त रिपोर्ट प्रतिमाह के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. हॉस्टल में ऐगिंग रोकने वर्षभर निगरानी की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाना है, जिसके अंतर्गत प्रवेश एवं निकास पंजी का नियमित रूप से संधारित किया जावे एवं हॉस्टल वार्डन उक्त पंजी प्रतिमाह के अंतिम सप्ताह में ऐगिंग निरोधी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी के अवलोकन हेतु प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. इस आदेश के जारी होने के ०७ दिवस के अंदर विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य/समन्वयक अपनी-अपनी अध्ययनशालाओं में छात्रों, पालकों एवं समस्त शिक्षकों के साथ विचार विमर्श बैठक आयोजित किया जाना एवं जिसकी रिपोर्ट नोडल अधिकारी, ऐगिंग निरोधी प्रकोष्ठ को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य/समन्वयक अपनी-अपनी अध्ययनशालाओं के छात्रों के पालकों को तत्काल सूचित करेंगे कि उनके संज्ञान में आने वाली ऐंगिंग की घटना को तत्काल जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कुलानुशासक एवं नोडल अधिकारी, ऐंगिंग निरोध प्रकोष्ठ/एंटी ऐंगिंग कमेटी के किसी भी सदस्य/विभागाध्यक्ष/ चीफ हॉस्टल वार्डन/हॉस्टल वार्डन को अवगत कराए जिससे एंटी ऐंगिंग कमेटी द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कर पीड़ित छात्र/छात्राओं त्वरित न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

उक्त पत्र के संबंध में चाही गई जानकारी 02 दिवस के अन्दर प्रशासन विभाग में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी/समन्वयक/निदेशक जी०वि०वि०, ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कुलानुशासक/नोडल अधिकारी ऐंगिंग निरोध प्रकोष्ठ, जी०वि० वि०, ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. चीफ वार्डन/समस्त वार्डन पुरुष एवं महिला छात्रावास, जीवाजी वि०वि० ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रोक्टोरियल बोर्ड के समस्त सदस्य जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. उप/सहा.-कुलसचिव०प्रशा जीवाजी०वि०वि०, ग्वालियर।
7. कुलसचिव के निजी सहायक, जी०वि०वि०, ग्वालियर।
8. श्री एच.के. द्विवेदी प्रभारी, आई.टी. सेल, की ओर विश्वविद्यालय की बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।

सहा० कुलसचिव (प्रशा०)

जीवाजी विश्वविद्यालय ग्रालियर

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार ऐंगिंग रोकने के संबंध में कृत कार्यवाही के पालन प्रतिवेदन का

प्रारूप

अध्ययनशाला का नाम :

क्र	कार्यवाही का प्रारूप	अंशां द्वारा कृत कार्यवाही	रिमार्क
1	ओरिएन्टेशन प्रोग्राम का आयोजन।		
2	सांख्यिकी कार्यक्रम और खेल गतिविधियों का आयोजन।		
3	छात्रावास वार्डन द्वारा समूह में भोजन का आयोजन।		
4	फेसर बैच के छोटे-छोटे समूहों का निर्माण और उनका समूह प्रभारी नियुक्त किया जाना।		
5	छात्रावासों में प्रवेश और निकास पंजी का संधारण एवं नोडल अधिकारी का अवलोकन करना।		
6	छात्रों-पालकों की संगोष्ठी और उसकी रिपोर्ट ऐंगिंग रोधी प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाना		
7	अन्य किए गए प्रयास		